

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2313 / 2011 / भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी,  
जिला भीलवाड़ा।  
बनाम

मैसर्स लकड़ी सीमेन्ट सप्लायर्स,  
भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा  
उप राजकीय अभिभाषक  
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से  
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02 / 04 / 2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 279 / वैट / 10-11 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वृत्त-बी, जिला भीलवाड़ा (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) के तहत आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज राशि रूपये 41,149/- को अपास्त किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा धारा 83 में उक्त अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी सीमेन्ट का विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवसायी ने अपने व्यापार खाते वर्ष 2008-09 में विक्रेताओं से प्राप्त डिस्काउन्ट राशि रूपये 2,71,426/- दर्शायी है तथा इसे खरीद राशि में कम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि प्रत्यर्थी व्यवसायी के व्यापार खाते के अनुसार ही क्रय राशि पर आगत कर देय है। प्राप्त डिस्काउन्ट को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 जिसे आगे “वैट अधिनियम” कहा जायेगा, की धारा 2(36) के अनुसार बिक्री मूल्य का भाग माना है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा घोषित डिस्काउन्ट पर आगत कर रिवर्स करते हुए कर रूपये 33,928/- तथा ब्याज रूपये 7,221/- कुल रूपये 41,149/- की मांग प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरुद्ध कायम की। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवसायी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड में पेश की गई है जिसमें रिवर्स किया गया कर तथा ब्याज को विवादित किया गया है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह की लिखित बहस पत्रावली

लगातार ..... 2

में संलग्न है जिसमें उन्होंने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी सीमेन्ट का विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवसायी ने अपनी खरीद पर चुकाया आगत कर का मुजरा मांगा था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउन्ट पर आगत कर को रिवर्स कर दिया था। उनका कथन है कि वैट एक्ट की धारा 2(33) में परिभाषा अनुसार यदि वैट अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज ए से जी तक की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ही पूर्व में मुजरा लिया गया आगत कर रिवर्स हो सकता है। प्रत्यर्थी व्यवसायी ने धारा 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवसायी ने फॉर्म वैट-07 में वर्णित पूरी खरीद पर कर चुकाया था तथा विक्रेता ने उस कर को राज्य सरकार को चुका दिया था। इसलिए वैट-07 में घोषित आई.टी.सी. स्वीकृत होनी चाहिए। प्रत्यर्थी व्यवसायी के विक्रेता ने वर्ष के अन्त में ट्रेड डिस्काउन्ट देते हुए विक्रय/क्रय राशि कम की थी जो कि सेल प्राइस की परिभाषा अनुसार भी विक्रेता के मूल्य से कम नहीं हो सकती थी इसलिए पूरे विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जा चुका था। राज्य सरकार ने वैट एक्ट में दिनांक 09.03.2011 से प्रभावी संशोधन किया है जिसके अनुसार किसी स्कीम आदि के द्वारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थी व्यवसायी के प्रकरण में उसका विक्रय मूल्य कम भी नहीं है फिर भी संशोधन 09.03.2011 से प्रभावी होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवसायी के आलौच्य अवधि में लागू नहीं होता है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

5. राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने पर जोर दिया। उनका कथन है कि ट्रेड डिस्काउन्ट से प्रत्यर्थी व्यवसायी की क्रय राशि कम हो गई थी इसलिए शुद्ध क्रय राशि पर चुकाये गये कर का मुजरा ही दिया जा सकता था इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिक लिये गये आई.टी.सी. को रिवर्स कर कोई भूल नहीं की थी तथा अपीलीय अधिकारी ने भी अपील स्वीकार कर भूल की है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. 03.2 प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउन्ट में डिस्काउन्ट राशि रूपये 2,71,426/- दर्शायी है। इस राशि को बिक्री राशि में जोड़ा जाकर करारोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने शुद्ध खरीद पर ही I.T.C. स्वीकार करते हुए अधिक ली गई I.T.C. को रिवर्स किया है तथा ब्याज भी लगाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट एक्ट, 2003 की धारा 2(36) के तहत Sale Price की परिभाषा का उल्लेख करते हुए डिस्काउन्ट को बिक्री का भाग माना है। वैट एक्ट की धारा 2(33) के अनुसार रिवर्स कर तभी किया जा सकता है। जब धारा 18(1) के प्रावधानों का उल्लंघन हो। धारा 2(33) तथा धारा 18(1) इस प्रकार हैं:-

की है 2(33) " Reverse Tax - Means that part of the input tax for which credit has been availed in contravention of the provisions of section 18;

6. 18. Input Tax Credit - (1) "input tax credit shall be allowed, to registered dealers,

other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or

- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the course of export outside the territory of India, or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

प्रार्थी ने वैट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है लेकिन खरीद को ट्रेड डिस्काउन्ट कम करते हुए घटाया है। फिर भी वैट-07 में घोषित अनुसार खरीद पर चुकाये गये कर का नियमानुसार मुजरा दिया जाना विधिनुकूल होगा। वैट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वॉयस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वैट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपीले स्वीकार कर आरोपित कर, ब्याज अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर आरोपित किये गये करारोपण को अपास्त किया गया है।

- A. (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-'बी' उदयपुर;
- B. (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-'सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चमूल इलेक्ट्रोनिक्स;
- C. (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार;
- D. टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम-1 पार्ट-1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स अभिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य; एवं
- E. (2014) 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत्त-'ए' भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर।

उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में आरोपित कर व ब्याज अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश को यथावत रखा जाता है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

- C. (20) निर्णय सुनाया गया।
- D. टैक्स अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत्त-'ए' भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर।

( मदन लाल मालवीय)  
सदस्य